



A A FORM

नियम २५३ (सी), २५४ (प), (नियम तीन) २५४(सो) २५५(१)

मोटर वाहन अपघातबाबतचा अहवाल

- | | | |
|-----|--|--|
| ०१) | पोलीस ठाणे | :— उमरेड |
| ०२) | जिल्हा | :— नागपूर ग्रामीण |
| ०३) | गु.र.नं. व कलम,
स्टे.डा.कं. | :— ५६८/२०२० कलम २७९,३३७,३०४(अ) भा.दं.वि सहकलम १८४
<u>मोवाका</u> |
| ०४) | अपराध घड. ता. वेळ | :— दि.०६/०७/२०२० रोजीचे २१/०० वा २१/३० वा. दरम्यान |
| ०५) | जखमी/मृतकाचे
नाव, पत्ता | :— मृतक नामे रूपेश कानिफ मेश्राम, वय— ३१ वर्ष, रा. उंटखाना, अशोक
चौक, नागपूर |
| ०६) | वाहन कं. व प्रकार | :— होंडा मोसा. क. एमएच ४० बिडब्ल्युं ६७६० |
| ०७) | वाहन चालकाचे नाव व
वाहन चालविण्याचा
परवाना देणारे कार्यालय
पत्ता | :— मृतक नामे रूपेश कानिफ मेश्राम, वय— ३१ वर्ष, रा. उंटखाना, अशोक
चौक, नागपूर,
<u>प्रादेशिक परीवहन नागपूर ग्रामिण</u> |
| ०८) | अपघात झालेल्या तारखेस
वाहन मालकांचे
नाव / पत्ता | :— गजानन राजेंद्र ठाकरे, राह—खुर्सापार, ता—उमरेड जि—नागपूर |
| ०९) | अपघात झालेल्या तारखेस
वाहनाचा ज्या कंपनीचा
विमा असेल त्या कंपनीचे
नाव / पत्ता | :— <u>आयसीआयसीआय लोमबाई, कंम्पनी मोटर इन्शोरन्स</u> |
| १०) | विमा पॉलिसी कं./विमा
प्रमाणपत्र कंमाक/कव्हर
नोट के.विमा पॉलिसी
वैधता मुदत | :— ३००५/२०११७७८०४३/००/०००००१९२३२
दि.२२/०५/२०१९ ते दि.२१/०५/२०२४ पर्यंत |
| ११) | सरकारी वाहनाचे बाबतीत
बिल्लाचा कंमाक व
विमा, पत्ता | :— निरंक |
| १२) | केलेली कार्यवाही | :— आरोपी मृतक नामे रूपेश कानिफ मेश्राम, राह—नागपूर. |

अधिकारी,
 (प्रशास्ति सूनाम खोब्रगडे)
 परी.पोउपनिश. पोस्टे उमरेड